"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मई 2013—वैशाख 31, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-28/2013/वाक/पांच (36).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 11 के उप-नियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाय :—
"(क) धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रारूप 10 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक पद्धति से प्रस्तुत करेगा.

परन्तु यह कि, यदि व्यापारी धारा-10 की उपधारा (2) के अधीन प्रशमन (कंपोजिशन) के लिये पात्र हो, तो प्रारूप 10-ख में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो कि इलेक्ट्रानिक पद्धति से भी प्रस्तुत किया जा सकता है.

प्रारूप-10 की एक प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा, जिसे और—"

(2) नियम 12 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय :—

"परन्तु जब धारा 16 के अधीन, कर प्रशमन (कंपोजिशन) हेतु पात्र व्यापारी द्वारा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदक को आवेदन दिनांक से 3 दिवस के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रारूप-11 में जारी करेगा, जिसके लिये आवेदक के व्यवसाय स्थल पर सत्यापन नहीं किया जायेगा."

(3) प्रारूप 10-क के पश्चात् निम्न प्रारूप जोड़ा जाय :—

प्रारूप 10-ख

[नियम 11(1) देखिये]

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु आवेदन जो कि धारा 10 की उपधारा (दो) के अधीन कंपोजिशन का पात्र हो

फोटो चिपकाएं

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
.... वृत्त.

मैं .... व्यवसाय का नाम मे. .... पता .... का *मालिक/*प्रबंधक/*भागीदार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु आवेदन करता हूं.

2. मालिक/भागीदारों का विवरण :—

नाम (1)	पिता का नाम (2)	आयु (3)	वर्तमान पता (4)	स्थायी का पता (5)	व्यवसाय में हिस्सा की सीमा (6)	हस्ताक्षर (7)

3. व्यवसाय की प्रकृति (क्रेता-विक्रेता/कुक्डफूड निर्माता) ....

4. किन वस्तुओं का व्यवसाय है ....

5. व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख ....

6. व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख से आवेदन करने की तारीख तक की विक्रय राशि ....

7. कर दायित्व की तारीख ....

8. आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की विशिष्टियां,—

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति का नाम (2)	स्थायी खाता क्रमांक PAN (3)

9. बैंक खातों का विवरण :—

अनुक्रमांक (1)	बैंक का नाम (2)	बैंक का पूरा पता (3)	बैंक खाता क्रमांक (4)

10. व्यवसाय स्थल की स्थिति (स्वामित्व/किरायेपर) ....

स्थान ....
तारीख ....

....
हस्ताक्षर

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन और दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान ....
तारीख ....

....
हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेज (निम्नलिखित अभिलेख स्केन करके अपलोड किया जा सकता है) :—

(i) PAN की फोटोप्रति.

(ii) व्यापार स्थल के स्वामित्व/किराया का साक्ष्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक एफ-10-28/2013/वाक/पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2013/वाक/पांच (36) दिनांक 14-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 14th May 2013

NOTIFICATION

No. F-10-28/2013/CT/V (36).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, from the date of publication in official Gazette.

AMENDMENT

In the said rules :—

(1) For clause (a) of sub-rule (1) of rule 11, the following clause (a) shall be substituted :—

"(a) Application for grant of registration certificate under section 16 shall be made electronically in form 10 to registering authority.

Provided that, if the dealer is eligible for composition under sub-section (2) of section-10, application for grant of registration certificate shall be made in form 10-B, which may be made electronically.

A copy of form-10, shall be submitted to the registering authority for verification, which shall be-"

(2) In sub-rule (1) of rule 12, after clause (ii) the following proviso shall be added :—

"Provided that when the application under section-16 for grant of registration certificate by a dealer eligible for composition is received, the registering authority shall grant to the applicant a registration certificate in Form-11 within 3 days from the date of application, for which no verification shall be done at business place of the dealer."

(3) After form 10-A the following form shall be added :—

FORM 10-B
[See rule 11 (1)]

Application for grant of registration certificate under section 16 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for dealers eligible for composition under sub-section (2) of section-10

To,

Paste Photo

The Commercial Tax Officer
..................................Circle

I .... Proprietor/Manager/Partner of the business known as .... hereby apply for grant of registration certificate under section 16 of the Chhattisgarh Value Added Tax, 2005.

2. Particulars of Proprietor/Partner-

Name (1)	Father's Name (2)	Age (3)	Present Address (4)	Permanent Address (5)	Extent of interest in business (6)	Signature (7)

3. Nature of business (purchase-sale/cooked food manufacturer) ....

4. Name of commodities ....

5. Date of Commencement of the business ....

6. Gross Turnover from the date of commencement of business to the date of making the Application. ....

7. Date of liability to pay tax ....

8. Particulars of Income Tax permanent account numbers (PAN)—

S. N. (1)	Name of the Person (2)	Permanent Account No. (3)

9. Particular of the bank account,—

S. N. (1)	Name of Bank (2)	Full address of the Bank (3)	Bank Account No. (4)

10. Particulars about the business premises (Ownership/on Rent) ....

Place ....

Date ....
Signature

I, hereby declare that the statement made and particulars given are true to the best of my knowledge and belief.

Place ....

Date ....
Signature

Documents to be enclosed (The scanned copy of following documents can be uploded) :—

(i) Copy of PAN
(ii) Proof of ownership/rent of place of business.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.